

न्यायालय :- पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड, म.प्र.
 (आप.प्रक.क्रमांक :- 522/2015)
 (संस्थित दिनांक :- 27/07/2015)

म.प्र. राज्य,

द्वारा आरक्षी केन्द्र :- मालनपुर।

जिला-भिण्ड., म.प्र.

..... अभियोजन।

// विरुद्ध //

01. मन्जु उर्फ मजीद खॉ पुत्र रूस्तम खॉ, उम्र 23 वर्ष।
 निवासी :- माधव नगर नई मस्जिद के पीछे पहाड़िया मालनपुर,
 थाना :- मालनपुर, जिला-भिण्ड, (म.प्र.)।

..... अभियुक्त।

// निर्णय //

(आज दिनांक : 21/02/2018 को घोषित)

01. अभियुक्त मन्जु उर्फ मजीद पर भा.द.सं. की धारा 294, 323 एवं 506 भाग II के अन्तर्गत आरोप हैं कि आरोपी ने दिनांक : 21/07/2015 को शाम लगभग 07:30 बजे सॉई कॉलौनी माधव नगर पहाड़िया मालनपुर में, जो कि लोकस्थान के पास समीप एक स्थान है, पर समीना को माँ-बहन की अश्लील गालियाँ देकर क्षोभ कारित किया, फरियादी जहीर खॉ डण्डे से मारपीट कर उसे स्वेच्छयाँ उपहतियाँ कारित की एवं फरियादी जहीर खॉन को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

02. प्रकरण में कोई सारवान निर्विवादित तथ्य नहीं है।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :- 21/07/2015 को शाम लगभग 07:30 बजे सॉई कॉलौनी माधव नगर पहाड़िया मालनपुर में, आरोपी मन्जु द्वारा फरियादी जहीर खॉन की भाभी समीना से गाली-गलौच करने, फरियादी जहीर की डण्डे से मारपीट करने तथा जान से मारने की धमकी देने की मौखिक रिपोर्ट फरियादी जहीर द्वारा उसी दिनांक को थाना मालनपुर पर की जाने पर, थाना मालनपुर में उक्त आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 124/2015 अन्तर्गत धारा 294, 323 एवं 506 भाग II भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। फरियादी जहीर खॉन, साक्षीगण समीना, जमोला, आसमीन एवं परवीन यादव के कथन लेखबद्ध किये गये तथा विवेचना पूर्णकर आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04. अभियुक्त मन्जू उर्फ मजीद के विरुद्ध धारा 294, 323 एवं 506 भाग II भा. द.सं. का आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया। आरोपी का अभिवाक् अंकित किया गया।

05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उसका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उसने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए बचाव में स्वयं को निर्दोष होना व्यक्त किया।

06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :-

01. क्या आरोपी मन्जू उर्फ मजीद ने दिनांक :- 21/07/2015 को शाम लगभग 07:30 बजे सॉई कॉलौनी माधव नगर पहाड़िया मालनपुर में, जो कि लोकस्थान के पास समीप एक स्थान है, पर समीना को माँ-बहन की अश्लील गालियाँ देकर क्षोभ कारित किया?

02. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर फरियादी जहीर खॉ डण्डे से मारपीट कर उसे स्वेच्छयाँ उपहतियाँ कारित की?

03. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर फरियादी जहीर को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया?

04. अंतिम निष्कर्ष?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष
विचारणीय बिन्दु क्रमांक : 01 लगायत 03

07. साक्ष्य विवेचना में सुविधा की दृष्टि से तथा साक्ष्य के अनावश्यक दोहराव से बचने के लिए विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01 लगायत 03 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

08. फरियादी जहीर खॉन अ.सा.01 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि आरोपी मन्जू खॉ उसके घर के पीछे रहता है। घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 08/07/2016 से लगभग एक वर्ष पूर्व की होकर रात्रि 07:00 – 07:30 बजे की है। साक्षी आगे कहता है कि भाभी समीना, भतीजी आशमीन लैट्रिन करने जा रही थी। आरोपी मन्जू एवं दो-तीन लोग बैठे थे, वह भाभी से उल्टी-सीधी बातें करने लगे। वह घर पर बगल से था। साक्षी आगे कहता है कि भाभी ने कहा कि चप्पल मारुंगी, अगर उल्टी-सीधी बातें करोगें तो, तभी आरोपी मन्जू ने गाली-गलौच शुरू कर दी। साक्षी आगे कहता है कि भतीजी उसे बुलाने आई तब वह घर से दू टनास्थल सॉई मंदिर के बगल पर पहुँचा, उसने गाली-गलौच करने से मना किया,

तो मन्जू ने डण्डा उठाकर उसके सिर में मार दिया, जिससे वह गिर गया। मन्जू वहाँ से भाग गया। फिर उसे मौहल्ले वालों ने उठाया। उसने घटना की रिपोर्ट प्र.पी.01 की थी, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने मौके पर आकर घटनास्थल का नक्शा-मौका प्र.पी.02 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसका बयान लिया था।

09. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में जहीर अ.सा.01 ने यह दर्शित किया है कि घटना के समय आरोपी और उसके तीन अन्य साथी इस्माइल के घर के सामने बैठे थे, इस्माइल एवं उसका घर चिपके हैं अर्थात् अगल-बगल स्थित है। अन्य साक्षीगण समीना अ.सा.02, जमीला, आसमीन एवं परवीन ने उनके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में सारतः यह दर्शित कि घटना इस्माइल के घर के सामने की है। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में जहीर अ.सा.01 ने यह दर्शित किया है कि उसने पुलिस कथन प्र.डी.01 में यह बता दिया था कि घटना इस्माइल के मकान के सामने की है, ना लिखा हो तो वह कारण नहीं बता सकता। उल्लेखनीय है कि उसके पुलिस कथन प्र.डी.01 में घटना इस्माइल के घर के सामने होने का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन यह भी उल्लेखनीय है कि विवेचक प्रहलाद शर्मा अ.सा.08 द्वारा जहीर खॉ के पुलिस कथन प्र.डी.01 में इस तथ्य का कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि आरोपित घटना का घटनास्थल कहाँ स्थित था। विवेचक प्रहलाद शर्मा अ.सा.08 द्वारा निर्मित नक्शा-मौका प्र.पी.02 में घटनास्थल जहीर के मकान के सामने का होना दर्शित किया गया है और जहीर अ.सा.01 द्वारा घटनास्थल उसके घर के ठीक बगल में इस्माइल के घर के सामने होना दर्शित किया गया है, ऐसी दशा में घटनास्थल के संबंध में जो विरोधाभास साक्षीगण के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य एवं नक्शा-मौका प्र.पी.02 के तथ्यों के मध्य प्रकट हो रहा है, वह साक्षीगण की ग्रामीण एवं अशिक्षित शैक्षणिक पृष्ठभूमि को दृष्टिगत रखते हुये गंभीर प्रकृति का नहीं है। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में फरियादी जहीर अ.सा.01 ने यह दर्शित किया है कि आरोपी डण्डा कहाँ से लाया यह उसे नहीं मालूम। इस प्रकार आरोपी मन्जू उर्फ मजीत द्वारा आरोपित घटना में फरियादी जहीर की डण्डे से मारपीट किये जाने के संबंध में उसका न्यायालयीन अभिसाक्ष्य प्रति-परीक्षण उपरांत भी सारतः अखण्डित रहा है, जिसकी सारतः पुष्टि जहीर द्वारा लेखबद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 के तथ्यों से भी हो रही है।

10. अभियोजन साक्षी डॉ.आलोक शर्मा अ.सा.09 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 21/07/15 को सीएचसी गोहद में मेडीकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को थाना मालनपुर के आरक्षक क्रमांक 565 रूप सिंह द्वारा लाये जाने पर आहत जहीर खॉन पुत्र चिन्गे खॉन, निवासी : मालनपुर का चिकित्सीय परीक्षण करने पर आहत ने सिर में दाहिनी तरफ 02 गुणा 0.3 गुणा 0.3 से.मी. का फटा हुआ घाव पाया था। साक्षी आगे कहता है कि आहत को आई उपरोक्त चोट किसी सख्त एवं भौथरी वस्तु से उसके परीक्षण के 0 से 06 घण्टे के अन्दर आना प्रतीत होकर साधारण प्रकृति की थी। इस वावत् उसके द्वारा दी गई मेडीकल परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.05 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। डॉ.

आलोक शर्मा अ.सा.01 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य आहत जहीर के सिर में दिनांक : 21/07/2015 को फटा घाव कारित होने के संबंध में प्रति-परीक्षण उपरान्त भी सारत : अखण्डित रहा है। डॉ.आलोक शर्मा अ.सा.09 के उक्त न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सारत: पुष्टि उनके द्वारा इस वावत् दी गई मेडीकल रिपोर्ट प्र.पी.05 के तथ्यों से भी हो रही है। डॉ.आलोक शर्मा अ.सा.09 के उक्त न्यायालयीन अभिसाक्ष्य से आहत जहीर अ.सा.01 के इस वावत् न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की भी सारत: पुष्टि हो रही है।

11. फरियादी जहीर अ.सा.01 ने प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में यह दर्शित किया है कि आरोपी ने उसके सामने उसकी भाभी समीना अ.सा. 02 से कोई गाली-गलौच या उल्टी-सीधी बातें नहीं की थी। फरियादी जहीर अ.सा.01 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहीं भी यह दर्शित नहीं किया है कि आरोपी द्वारा आरोपित घटना में उसे जान से मारने की कोई धमकी दी गई थी। जबकि समीना अ.सा.02 एवं आसमीन अ.सा.04 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में यह दर्शित किया है कि आरोपी द्वारा आरोपित घटना में जहीर को जान से मारने की धमकी दी गई थी। इस प्रकार इस तथ्य के संबंध में फरियादी जहीर अ.सा.01, समीना अ.सा.02 एवं आसमीन अ.सा.04 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में विरोधाभास है और इस कारण आरोपित घटना में आरोपी द्वारा फरियादी जहीर को जान से मारने की धमकी दिये जाने का तथ्य संदेहास्पद प्रतीत होता है।

12. साक्षी समीना अ.सा.02 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपी मन्जू खॉ को जानती है। घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 21/12/2016 से लगभग एक-सवा साल पहले की है। साक्षी आगे कहती है कि वह और उसकी लड़की आशमीन लैट्रिन करने जा रहे थे, तो मन्जू उससे बोला कि मैं भी तेरे साथ लैट्रिन करने चलू, इसके बाद उसका एवं मन्जू का मुहवादा हो गया। आरोपी मन्जू ने उसे माँ-बहिन की गालियाँ दी थी, जब तक उसकी लड़की आशमीन उसके चाचा जहीर को बुलाने चली गई, उसके बाद उसका देवर जहीर आया और उसने गाली देने से मना किया, तो मन्जू ने उसके अर्थात् जहीर के डण्डा मारा, जो उसके दाहिने हाथ पर लगा था। फिर उसकी सास जमीला आ गई थी और उसके बाद आरोपी बोला कि अगर दोबारा बोलने की कोशिश की तो जान से खत्म कर देंगे, फिर हमने थाने जाकर रिपोर्ट की थी। आरोपी ने डण्डा सिर में मारा था, जो सिर में दाहिनी ओर लगा था। समीना अ.सा.02 द्वारा उसके मुख्य परीक्षण में यह दर्शित किया गया है कि आरोपी मन्जू उर्फ मजीद ने जहीर के सिर में डण्डा मारा था, जो दाहिनी ओर लगा था। समीना द्वारा यह भी दर्शित किया गया है कि आरोपी ने जहीर के दाहिने हाथ के डण्डा मारा। इस प्रकार आरोपी मन्जू उर्फ मजीद द्वारा आहत जहीर के सिर में डण्डा मारा गया था, अथवा दाहिने हाथ में इस वावत् समीना अ.सा.02 एवं जहीर अ.सा.01 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य जो विरोधाभास है, वह आहत/साक्षीगण की ग्रामीण शैक्षणिक पृष्ठभूमि को दृष्टिगत रखते हुये अत्यंत साधारण किस्म का है, इसलिए उक्त विरोधाभास के कारण आहत साक्षीगण का अभिसाक्ष्य संदेहास्पद नहीं हो जाता। साक्षी समीना अ.सा.02 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य आरोपी मन्जू उर्फ मजीद द्वारा उससे गाली-गलौच करने के संबंध में प्रति-परीक्षण उपरान्त भी

सारतः अखण्डित रहा है।

13. साक्षी जमीला अ.सा.03 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह जहीर खॉन को जानती है, वह उसका लड़का है। घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 21/12/2016 से लगभग डेढ़ साल पहले रात्रि 07:00 बजे की है। उसकी बहू समीना एवं पोती आशमीन लैट्रिन करने मरघटिया की ओर गई थी, तो मन्जू और उसके साथ चार लोग और थे, जो उसकी बहू समीना को देखकर गन्दी-गंदी बातें करने लगे। साक्षी आगे कहती है कि वह समय घर पर थी, उसकी पोती आशमीन दौड़कर घर पर आई। उसका लड़का जहीर घर के बाहर बैठा था और उसने बताया कि कुछ लोग मम्मी से गन्दी-गन्दी बातें कर रहे थे, फिर उसका लड़का जहीर गया और पूछा तो मन्जू ने जहीर के सिर में लकड़ी मार दी और कहने लगे कि आज तो छोड़ दिया आगे जान से खत्म कर देंगे। फिर वह थाने रिपोर्ट करने चले गये। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में जमीला अ.सा.03 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसके सामने जहीर को आरोपी ने नहीं मारा, ना ही कोई गाली-गलौच की। साक्षी आगे कहती है कि जब वह घटनास्थल पर पहुँची, तब उसका लड़का जहीर मरघटिया के पास बेहोश पड़ा था। इस प्रकार यह साक्षी घटना की चक्षुदर्शी साक्षी ना होकर घटना के पश्चात् घटनास्थल पर पहुँचने वाली एक अनुश्रुत साक्षी होना दर्शित होती है।

14. साक्षी आसमीन अ.सा.04 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 02/03/2017 से लगभग एक-डेढ़ साल पहले की है। वह और उसकी मम्मी समीना लैट्रिन करने को जा रहे थे, तभी मन्जू मुसलमान मिला और उसकी माँ से कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ लैट्रिन करने को चलूँ, उसकी माँ ने मना किया तो उसने माँ-बहन की गालियाँ दी। साक्षी आगे कहती है कि फिर वह अपने चाचा को बुलाकर लाई और चाचा जहीर आये और उन्होंने गाली देने से मना किया, तो मन्जू ने लाठी मारी जो जहीर के सिर में दाईं तरफ लगी और चोट आई और सिर में से खून निकलने लगा तथा चाचा बेहोश हो गये। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी आसमीन अ.सा.04 ने यह व्यक्त किया है कि मन्जू ने यह कहा था कि अगर लड़ने की कोशिश की तो जान से खत्म कर देंगे और यह भी कहा था कि अभी कम मारा है, अब ज्यादा मारेगें।

15. प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में आसमीन अ.सा.04 ने यह दर्शित किया है कि उसने पुलिस कथन प्र.डी.04 में यह लिखा दिया था कि आरोपी ने उसकी माँ को माँ-बहन की अश्लील गालियाँ दी थी, ना लिखा हो तो कारण नहीं बता सकती। उल्लेखनीय है कि आसमीन अ.सा.04 के पुलिस कथन प्र.डी.04 में माँ-बहन की गालियाँ देने का उल्लेख नहीं है, बल्कि अश्लील एवं बुरी गालियाँ देने का उल्लेख है। इसलिए यह एक ऐसा विरोधाभास नहीं है, जो साक्षी आसमीन अ.सा.04 की इस वावत् सत्यवादिता को खण्डित करता हो। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में आसमीन अ.सा.04 ने यह दर्शित किया है कि वह लाठी एवं डण्डा में अन्तर समझती है, उसने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि घटना के समय आरोपी

लाठी नहीं लिये थे और उसने पुलिस कथन प्र.डी.04 में यह लिखा दिया था कि आरोपी ने चाचा जहीर को लाठी से मारा, यदि ना लिखा हो तो कारण नहीं बता सकती। साक्षी आगे कहती है कि उसके चाचा लाठी लगने के बाद उसके सामने बेहोश हुये थे। उल्लेखनीय है कि साक्षी आसमीन अ.सा.04 की आयु न्यायालयीन अभिसाक्ष्य अंकित किये जाते समय मात्र 13 वर्ष है और लाठी-डण्डे के संबंध में जो विरोधाभास उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में प्रकट हुये है, वह अत्यंत मामूली किस्म के है, जिससे साक्षी आसमीन अ.सा.04 की इस वावत् सत्यवादिता किसी भी रूप में खण्डित नहीं होती है। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में आसमीन अ.सा.04 ने यह दर्शित किया है कि घटना के समय चाचा जहीर, उनकी बहन परवीन के घर पर नहीं थे और वह परवीन के घर जहीर को बुलाने नहीं गई थी। परवीन अ.सा.05 ने उसके प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में यह दर्शित किया है कि घटना के समय वह अपनी माँ जमीला के घर पर अर्थात् भाई जहीर के घर पर ही थी और आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसका पति और भाई जहीर अ.सा.01 उसके अर्थात् परवीन अ.सा.05 के घर पर शराब पी रहे थे। इस प्रकार आरोपित घटना के समय आसमीन अ.सा.04 आहत जहीर अ.सा.01 को जहीर के घर से ही बुलाकर लाई थी, इस वावत् आसमीन अ.सा.04 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य पूर्णतः अखण्डित रहा है और उसके उक्त न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की सारतः पुष्टि परवीन अ.सा.05 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य से भी होती है। इस प्रकार आरोपी मन्जु उर्फ मजीद द्वारा आरोपित घटना में आहत जहीर के सिर में दाईं तरफ लाठी से चोट कारित करने एवं समीना से गाली-गलौच करने के संबंध में आसमीन अ.सा.04 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य प्रति-परीक्षण उपरांत भी पूर्णतः अखण्डित रहा है और आसमीन अ.सा.04 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य से इस वावत् जहीर अ.सा.01 एवं समीना अ.सा.02 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य की भी सारतः पुष्टि होती है।

16. साक्षी परवीन अ.सा.05 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 02/03/2017 से लगभग एक-डेढ़ साल पहले की है। समीना और उसकी बेटी आसमीन लैट्रिन करने को जा रही थी, तभी मन्जु मुसलमान और उसके साथ के लोगों ने उनसे माँ-बहन की गालियाँ दी। तब तक उनकी भतीजी आसमीन उसके भाई जाहिद को बुलाने आई कि चाचा चलो मम्मी से झगड़ा हो गया है, तो जाहिद ने वहाँ जाकर गाली देने से मना किया तो मन्जु ने लाठी मारी, जो जाहिद खाँ के सिर में दाईं तरफ लगी और चोट आई और वह बेहोश हो गया, फिर वह लोग भाग गये और वह लोग रिपोर्ट करने चले गये थे। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी परवीन अ.सा.05 ने यह व्यक्त किया है कि मन्जु ने यह कहा था कि अगर लड़ने की कोशिश की तो जान से खत्म कर देंगे और यह भी कहा था कि अभी कम मारा है, अब ज्यादा मारेगें। न्यायालय द्वारा पूछे जाने पर साक्षी परवीन अ.सा.05 ने यह व्यक्त किया है कि उसके चार भाई हैं, एक का नाम शहीद, दूसरे का वहीद, तीसरे का जहीर, चौथे का नाम शंहशाह है। झगड़े में तीसरे भाई जहीर को चोट आई थी। जहीर का नाम जहीद नहीं है। उसने अपने पिटने वाले भाई का नाम जहीद खाँ बताया था। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 04 में परवीन अ.सा.05 ने यह दर्शित किया है कि वह एवं उसकी माँ जमीला

अ.सा.03 घटनास्थल पर साथ-साथ गये थे। जबकि प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 05 में परवीन अ.सा.05 का कहना है कि वह घटनास्थल पर नहीं गई थी, उसकी माँ जमीला एवं भाभी समीना ने उसे घटना की जानकारी दी थी, इस प्रकार यह साक्षी घटना की चक्षुदर्शी साक्षी ना होकर अनुश्रुत साक्षी मात्र है, जिसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य का कोई लाभ अभियोजन को प्रदान नहीं किया जा सकता।

17. अभियोजन साक्षी प्रहलाद शर्मा अ.सा.08 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 22/07/2015 को पुलिस थाना मालनपुर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसने फरियादी जहीर की निशानदेही पर घटनास्थल का नक्शा-मौका प्र.पी.02 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् उसके द्वारा उक्त दिनांक को ही साक्षी परवीन, आसमीन, जमीला, समीना एवं जहीर खॉन के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। साक्षी आगे कहता है कि उसके द्वारा दिनांक : 24/07/2015 को आरोपी मन्जू को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.03 बनाया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा आरोपी के मकान की मकान तलाशी पंचनामा प्र.पी.04 बनाया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 02 में विवेचक प्रहलाद अ.सा.08 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसने फरियादी पक्ष से मिलकर आरोपीगण के विरुद्ध झूठी कार्यवाही की है। इस प्रकार विवेचक प्रहलाद अ.सा.08 एवं अन्य आहत/साक्षीगण के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य ऐसे कोई सारवान विरोधाभाष नहीं हैं, जो अभियोजन कथा की सत्यता को संदेहास्पद बनाते हों।

18. साक्षी रुस्तम खॉ अ.सा.06 एवं रहीस खॉ अ.सा.07 ने अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी उनके समक्ष आरोपी मन्जू उर्फ मजीद के घर कोई तलाशी लिये जाने का तथ्य नहीं बताया है और इस वावत् अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है।

19. उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी मन्जू उर्फ मजीद ने दिनांक : 21/07/2015 को शाम लगभग 07:30 बजे सॉई कॉलौनी माधव नगर पहाड़िया मालनपुर में, फरियादी जहीर खॉन को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

20. उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि आरोपी मन्जू उर्फ मजीद ने दिनांक : 21/07/2015 को शाम लगभग 07:30 बजे सॉई कॉलौनी माधव नगर पहाड़िया मालनपुर में, जो कि लोकस्थान के पास समीप एक स्थान है, पर समीना को माँ-बहन की अश्लील गालियाँ देकर क्षोभ कारित किया एवं फरियादी जहीर खॉ डण्डे से मारपीट कर उसे स्वेच्छयाँ उपहतियाँ कारित की।

अंतिम निष्कर्ष

21. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियोजन आरोपी मन्जु उर्फ मजीद के विरुद्ध धारा 506 भा.द.सं. के आरोप संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः आरोपी मन्जु उर्फ मजीद को भा.द.सं. की धारा 506 भाग II के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
22. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियोजन आरोपी मन्जु उर्फ मजीद के विरुद्ध धारा 294 एवं 323 भा.द.सं. के आरोप संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है। फलतः आरोपी मन्जु उर्फ मजीद को भा.द.सं. की धारा 294 एवं 323 के आरोप से दोषसिद्ध किया जाता है।
23. आरोपी को परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ देने पर विचार किया गया। परन्तु आरोपी द्वारा किये गये, कृत्य से समाज में गाली-गलौच कर मारपीट करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। इसलिए आरोपी को परिवीक्षा का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता।
24. निर्णय दण्ड के प्रश्न पर आरोपी को सुने जाने के लिए कुछ समय के लिए स्थगित किया गया।

जे.एम.एफ.सी गोहद

पुनश्च:-

25. आरोपी के अधिवक्ता को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। आरोपी के विद्वान अधिवक्ता श्री आर.सी.यादव का कहना है कि आरोपी ग्रामीण पृष्ठभूमि का अशिक्षित व्यक्ति हैं, वह अपने परिवार के एक मात्र कमाने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए उसे न्यूनतम दण्ड से दण्डित किया जाये। आरोपी के अधिवक्ता के तर्क सदभाविक प्रतीत न होने से अस्वीकार किये गये और आरोपी मन्जु उर्फ मजीद को धारा 294 भा.द.सं. के आरोप के लिए 500/- रुपये अर्थदण्ड एवं धारा 323 भा.द.सं. के आरोप के लिए 06 माह का सश्रम कारावास एवं 500/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। प्रत्येक अर्थदण्ड अदा न करने पर आरोपी को मूल कारावास से पृथक 05-05 दिवस का सश्रम कारावास भुगताया जावे।
24. आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाये तथा आरोपी मन्जु उर्फ मजीद को अभिरक्षा में लेकर सजा वारंट के माध्यम से कारावास का दण्ड भुगतने के लिए उपजेल गोहद भेजा जाये।
25. आरोपी द्वारा अन्वेषण या विचारण के दौरान अभिरक्षा में रह कर गुजारी गई, किसी अवधि के संबन्ध में धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।
27. आरोपी द्वारा अर्थदण्ड की राशि अदा किये जाने पर सम्पूर्ण राशि 1,000/- रुपये फरियादी/आहत जहीर अ.सा.01 को धारा 357 द.प्र.सं. के अन्तर्गत प्रतिकर के रूप में अपील अवधि पश्चात् अपील न होने की दशा में प्रदान की जावे। अपील होने की

दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का प्रतिकर संबंधी आदेश प्रभावी होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद